

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०-09/उपा०बीज अनु०-65/2008

/क० पटना, दिनांक

2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स एलायड एण्ड केमिकल्स,
जमाल रोड, पटना।

विषय : अनुज्ञप्ति रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कागजात चेकलिस्ट के अनुसार जमा नहीं किया गया है। कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 1396 दिनांक 29.03.2016 के द्वारा चेकलिस्ट के अनुसार कागजात की मांग की गई थी जो कि आपके प्रतिष्ठान के द्वारा अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा कृषि निदेशालय से निर्गत बीज अनुज्ञप्ति की शर्त कंडिका -02 के आलोक में प्रतिवेदन भी आपके प्रतिष्ठान से नियमानुसार प्राप्त नहीं हुए है।

अतः उक्त कारणों से आपके अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या- 160/2009 वैधात तिथि 24.11.2015 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 5435

/क०, पटना, दिनांक 21/12/2016

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा राज्य अन्तर्गत बीज का व्यवसाय किया जाय तो अवैध व्यापार मानते हुए बीज नियंत्रण आदेश 1983 के आलोक में कार्रवाई की जाय।

2. आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

H. K. S.
20.12.16

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।